

सेक्रेट बैलेट चुनाव 2013 के बाद ईसीआरकेयू के साथ मंडल स्तर पर दिनांक 20.12.2023 को सम्पन्न अडतीसवीं (38वीं) स्थाई वार्ता तंत्र
(पी0एन0एम0) की बैठक का कार्यवृत्त

प्रशासन पक्ष			संघ पक्ष		
(सर्व श्री)			(सर्व श्री)		
1.	विवेक भूषण सूद	मरेप्र0	1.	शिव प्रसाद यादव	मंडल अध्यक्ष
2.	एम0एम0 प्रसाद	अमरेप्र-॥	2.	प्रियदर्शी राजीव	उपाध्यक्ष
3.	योगेश कुमार	अमरेप्र-।	3.	डी0के0झा	उपाध्यक्ष
4.	दीपक राज राय	मकाधि (प्रभारी)	4.	एस0सी0त्रिवेदी	मंडल मंत्री
5.	डा0 तनवीरुद्दीन	मुचिधि (प्रभारी)	5.	बब्लु कुमार	संयुक्त मंत्री
6.	इंद्रेश कुमार	वमइं (समन्वय)	6.	आफताब आलम	संगठन मंत्री
7.	रितेश कुमार गुप्ता	वमसिदूइं	7.	मंजीत मोहन	कोषाध्यक्ष
8.	मनीष सौरभ	वमपचाप्र	8.	धर्मेन्द्र कुमार	शाखा मंत्री/थानाबिहपुर
9.	पुष्कर कुमार	वमयाइं	9.	आशुतोष कुमार सिंह	शाखा मंत्री/मुज0
10.	अमित कुमार सिंह	वमविप्र	10.	शैलेन्द्र कुमार सिंह	शाखा मंत्री/ओडी/सोनपुर
11.	अभिषेक कुमार	वमविइं(टीआरडी)	11.	रामसुभग सिंह	शाखा मंत्री/मुज0-2
12.	कुमार परमानंद	वमसाप्र	12.	विकाश चन्द्र पाल	शाखा मंत्री/बरौनी ओडी
13.	पवन नाग	वमविइं(टीआरओ)	13.	मनोज कुमार गोस्वामी	शाखा मंत्री/गढ़हरा
14.	आदर्श कुमार	डीएमई/टीएस	14.	धीरेन्द्रमणि तिवारी	शाखा मंत्री/बरौनी
15.	ओम प्रकाश	मविप्र	15.	जीवानंद मिश्रा	शाखा मंत्री/गढ़हरा
16.	जय प्रकाश	समविइं(सामान्य)	16.	त्रिभुवन पासवान	शाखा मंत्री हाजीपुर
17.	अभिषेक कुमार	सकाधि- 1	17.	शशि शंकर सिंह	अध्यक्ष/हाजीपुर
18.	अजय कुमार	ससुआ	18.	मृत्युंजय सिंह	सं0शाखा मंत्री/मुज0
			19.	रेवती कुमारी	शाखा मंत्री/हाजीपुर

परिचर्चा बिन्दु:

मकाधि (प्रभारी) का संबोधन: स्थाई वार्ता तंत्र की 38 वीं एवं इस वर्ष की छठवीं एवं अंतिम बैठक का शुभारंभ करते हुए इस वार्ता तंत्र के सचिव-सह-मंडल कर्मिक अधिकारी (प्रभारी) ने बैठक के अध्यक्ष, प्रशासन तथा यूनियन, दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। हमलोग ने इस कैलेण्डर वर्ष में सभी 6 पीएनएम और और चारों प्रेम की बैठकें संपन्न किया। इसके लिए यूनियन के द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मकाधि (प्रभारी) ने कहा कि इसीआरकेयू की हाल में त्रैवार्षिक आम सभा की बैठक में संगठनात्मक चुनाव हुए हैं, हैं, जिसमें लगभग पुराने पदाधिकारी ही पुनः चुने गए हैं, नईटीम को प्रशासन के तरफ से बधाई देता हूं। साथ ही, यह काफी हर्ष का विषय है कि कि श्री एस0सी0त्रिवेदी और श्री बबलू कुमार यादव को मुख्यालय पीएनएम में सोनपुर मंडल के प्रतिनिधि के तौर पर चुना गया है, जिससे सोनपुर मंडल की समस्याएँ, जो मुख्यालय स्तर से संपादित होनी होती हैं, उसमें तेजी आएगी। जैसा कि विदित हो कि इस वर्ष यूनियन एवं एशो0 के साथ होने वाली सभी बैठकें संपादित करने हेतु जनवरी माह में एक कैलेण्डर निर्गत किया गया और उसी के अनुसार अनुसार सभी बैठकों का संपादन हुआ। इसी तर्ज पर कर्मिक विभाग के द्वारा मंडल रेल प्रबंधक के निर्देशन में अगले वर्ष के जनवरी माह में भी बैठकों हेतु कैलेण्डर जारी किया जाएगा, जिससे सभी बैठकें ससमय संपन्न हो सकेंगी। इसी के साथ परिचर्चा बिन्दु पर औद्योगिक संबंध पूर्व की भांति सार्थक और कारगर होने की उम्मीद जताई। साथ ही, श्री शिव प्रसाद जी से परिचर्चा बिन्दु पर अपने विचार व्यक्त करने हेतु आग्रह किया। किया।

श्री शिव प्रसाद प्रसाद यादव, मंडल अध्यक्ष, इसीआरकेयू का संबोधन: बैठक में प्रशासन पक्ष के सभी अधिकारी तथा यूनियन पक्ष के सभी आगन्तुक क प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। मुझे यह बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि हमारे मंडल मंत्री श्री त्रिवेदी जी न सिर्फ मुख्यालय में में अपना प्रतिनिधित्व देंगे बल्कि इन्हें ए0आई0आर0एफ0 के कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया है, जिससे सोनपुर मंडल की बात अब मुख्यालय के साथ-साथ रेलवे बोर्ड तक भी पहुंच सकेगी। इसी के साथ पिछले पीएनएम के बाद मरेप्र महोदय द्वारा मंडल में भ्रमण और उनके द्वारा लिए गए पहल से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सका है और बहुत सारे कार्यों में प्रगति हुई है। मैं खासकर मकाधि (प्रभारी) महोदय की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उनके द्वारा किए गए कार्य काफी सराहनीय रहें। इन्होंने कार्य संपादित कराने का एक सिस्टम डेवलप किया, जिससे कर्मचारियों को उनको मिलने वाला लाभ यथा:पदोन्नति, वित्तीय उन्नयन, आदि समय से मिल रहा है। इनके आने आने के बाद कर्मिक विभाग के सारे काम अपने तय समय में संपादित हो रहे हैं। इसके लिए मैं मकाधि (प्रभारी) एवं कर्मिक विभाग के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी हाल के दिनों में हमलोग थानाबिहपुर में बैठक किए। जिसमें सेमापुर से खगडिया खंड के सारे कर्मचारी सम्मिलित हुए। कर्मचारियों द्वारा अपनी-अपनी छोटी-छोटी समस्याओं से अवगत कराया गया। अतएव, मरेप्र महोदय से मैं यूनियन के तरफ से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इन क्षेत्रों का भ्रमण करें और कर्मचारियों से रूबरू हो। इससे वे कर्मचारियों से अवगत होंगे और इसका समाधान हो सकेगा। कर्मिक विभाग के द्वारा एक अच्छे कार्य का उदाहरण मैं इस सभा में प्रस्तुत करना चाहूंगा। बरौनी के एक कर्मचारी के बेटी की शादी

14.12.2023 को तय थी और कर्मचारी के द्वारा पीएफ से धनराशि निकासी हेतु आवेदन दिया गया था परंतु नोमनी फार्म में कुछ त्रुटि के कारण उनके पीएफ से धनराशि की निकासी नहीं हो पा रहा था। परंतु कर्मिक विभाग द्वारा इसकी सूचना देने के उपरांत मात्र चार घंटे में कर्मचारी के सभी गड़बड़ी को दूर करते हुए पीएफ पास कराते हुए कर्मचारी के खाते में पैसा चला गया। इस प्रकार की संवेदनशीलता के कार्य करने हेतु मैं यूनियन के तरफ से कर्मिक विभाग को साधुवाद देता हूं। इसी के साथ इंट्रोडक्टरी के माध्यम से कुछ मुद्दे प्रशासन के समक्ष उजागर किये गये, जो निम्नरूपेण हैं:

- अभी हाल के दिनों में थानाबिहपुर में मेजर चार्जशीट काफी दिया जा रहा है। केवल चार्जशीट देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कर्मचारियों से कर उनकी समस्या से रूबरू होकर ही गुणवत्ता रूपेण कार्य कराया जा सकता है।
- पिछले पीएनएम में बरौनी एवं गढ़हरा में जंगल कटाई का मुद्दा उठाया गया था। बरौनी में तो कार्य चल रहा है परंतु गढ़हरा में अभी तक जंगल कटाई का कार्य शुरू नहीं हुआ है।
- बरौनी, मानसी, खगड़िया, आदि हेल्थ यूनिट में चिकित्सकों की भर्ती हेतु प्रक्रिया को तीव्र गति से शुरू करते हुए संपादित किया जाए। चिकित्सकों की बहाली के समय इस बात का खयाल रखा जाए कि चिकित्सक वहीं आसपास के हों, ताकि वे अच्छे ठंग से कार्य कार्य संपादित करें। पूर्व के अनुभवों से यह बात सामने आती रही है कि दूरदराज के रहने वाले चिकित्सकों की पदस्थापना होने से वे ज्यादा दिन तक वहां पर नहीं रहते और पुनः वैकेन्सी उत्पन्न हो जाती है।
- लोकल अस्पताल से टाईअप- करने की प्रक्रिया में काफी विलंब हो रहा है, इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराया जाए।
- गढ़हरा में एकसरे टेकनीशियन नहीं हैं, पैथॉलोजी का टेस्ट नहीं हो रहा है। वहां पर अविलंब इसकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- न्यू बरौनी से बरौनी जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। यात्री और कर्मचारी हित के मद्देनजर इसको ठीक कराया जाए।
- स्टोर्स डिपो गढ़हरा से इलेक्ट्रिक शेड के बीच के रोड की स्थिति काफी जर्जर है। इसको ठीक कराया जाए।
- गढ़हरा यार्ड में पीने के पानी की काफी समस्या है। वहां पर तत्काल एक आरओ की व्यवस्था की जाए।
- गढ़हरा में टैंक एवं शौचालय बन गया है परंतु पानी की सप्लाई नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कृपया अविलंब पानी की सप्लाई हेतु व्यवस्था की जाए।
- मानसी में लोको पायलट को पिक एंड चूज पर कार्य हेतु भेजा जा रहा है। इसीलिए, वहां पर लोको पायलट की पदस्थापना हेतु नीति बनाई जाए और उसी के अनुसार वहां पर क्यू की पदस्थापना की जाए।
- गढ़हरा में केबलिंग के अधूरे कार्य को पूर्ण करते हुए उसमें कनेक्शन चालू करने की व्यवस्था की जाए।
- बरौनी रनिंग रूम में सलोपा एवं वरीय सलोपा का रिक्रेशर कराये जाने हेतु कनीय कर्मचारी को भेज दिया जाता है। रिक्रेशर कोर्स कराये जाने हेतु वरिष्ठ सीएलआई को भेजा जाना चाहिए।
- पसराहा के बगल में एक परिचालन का गेट है जहां पर एक कर्मचारी तैनात है। वहां पर 6 आदमी के स्थान पर 4 आदमी कार्यरत हैं, जिसके कारण उस कर्मचारी को रेस्ट नहीं मिल रहा है।

श्री एस0सी0त्रिवेदी, मंडल मंत्री, ईसीआरकेयू का संबोधन: बैठक में प्रशासन पक्ष के सभी अधिकारी तथा यूनियन पक्ष के सभी आगंतुक प्रतिनिधियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि जिस प्रकार इस वर्ष सौहार्दपूर्ण वातावरण में कर्मचारियों की समस्याओं का निपटारा होते होते रहा है और हमलोग जिस तरह से कर्मचारी हित में अच्छे कार्य करते आए हैं, वैसे ही आगे करते रहेंगे। कर्मचारी हित में जो कदम उठाए जाते हैं उससे कार्य करने का जो माहौल बना है, इससे कई तरह की समस्यायें स्वतः समाप्त हो जाती हैं। कर्मचारी हित में मरेप्र महोदय का जिस प्रकार का सहयोग मिल रहा है, वह वास्तव में काफी प्रशंसनीय है। काफी दिनों के बाद सोनपुर मंडल में ऐसे मंडल रेल प्रबंधक महोदय का आगमन हुआ है, जो कर्मचारियों से सीधे संवाद करने में विश्वास रखते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सार्थक प्रयास ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रूप से समस्या के निवारण में विश्वास रखते हुए योजना बनाते हैं। मंडल रेल प्रबंधक महोदय के लगातार भ्रमण से कर्मचारी एवं यूनियन दोनों को लाभ मिल रहा है। मरेप्र महोदय के इस कार्य हेतु मैं यूनियन की तरफ से उनको धन्यावाद ज्ञापित करता हूं। इसी के साथ उन्होंने मंडल के जीवन्त समस्याओं को प्रशासन के समक्ष निम्नरूपेण कहा:

- कार्य के दौरान गाड़ियों का ब्लॉक लाइन में घुस जा रही हैं। अभी तक एक साल में 5 घटनाएं घटित हुई हैं। इसमें गलती हर पक्ष की है। इस हेतु हम कर्मचारियों को लगातार काउंसल कर रहे हैं। परंतु इस हेतु हमें भी अपनी कार्य प्रक्रिया को दुरुस्त कराना होगा। जब भी ब्लॉक लिया जाए, उस समय ट्रैक को ड्रॉप कर दिया जाना चाहिए। ब्लॉक के समय जी0आर0 मैन्यूअल का पालन करेंगे तो ऐसी घटनायें होंगी ही नहीं। जहां पर ब्लॉक हो, तो वहां पर मॉनिटरिंग हेतु टी0आई0/सिग्नल इंस्पेक्टर/एस0एस0 की तैनाती की जाए। हमलोग अपने कार्यप्रणाली में कुछ इस प्रकार की पहल कर ऐसी घटनाओं में कमी ला सकते हैं।
- हमारे पर्यवेक्षकों के द्वारा रनिंग कर्मचारियों को तरहतरह से हथकंडे अपनाकर परेशान किया जा रहा है। इसी संबंध में एक नई घटना का वृत्तांत करते हुए कहा कि हमारे मंडल में एक लोको पायलट श्री अमित कुमार-11 के चाचा का देहांत हो गया। कर्मचारी उस वक्त छपरा क्रु-लॉबी में था। वहां पर इस घटना की सूचना मिलने पर वहां के पर्यवेक्षक द्वारा कर्मचारी को रिलीज कर दिया परंतु अपने यहां के सीटीएलसी के द्वारा उन्हें छुट्टी देने से इंकार कर दिया गया। इस प्रकार की असंवेदनशीलता कहीं से ठीक नहीं है। क्योंकि सोनपुर मंडल में यह आदेश निकला है कि ड्राइवरों की छुट्टी का पूरा कंट्रोल सोनपुर सीटीएलसी के द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार सोनपुर के सीटीएलसी के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यदि, किसी कर्मचारी के परिवार में किसी का स्वर्गवास हो जाए और हम उसके साथ इतना असंवेदशील तरीके से बर्ताव करेंगे तो इससे कर्मचारियों का मनोबल टूट जाएगा।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल की व्यवस्था चुस्त- दुरुस्त होनी चाहिए। हाल के दिनों में एक अन्य मंडल के कर्मचारी का हार्ट-अटैक होने के कारण वह मंडल अस्पताल में भर्ती हुआ। उसकी स्थिति काफी खराब होने के कारण उसे पटना रेफर कर दिया गया। परंतु पटना ले जाने के लिए मंडल अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं था। जब कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि श्री बबलू कुमार यादव पहुंचे तो पता चला कि एक एम्बुलेंस का रिन्यूवल नहीं हुआ है और एक एम्बुलेंस प्रशासनिक कार्य से पटना गया है। इस दौरान कर्मचारी को उसके हाल पर छोड़ दिया गया और वहां पर उपस्थित चिकित्सक द्वारा यह कहा गया कि हमने रेफर कर दिया है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाद में, मुचिधि महोदय द्वारा उन्हें अपने वाहन से पटना भेजा गया। परंतु यहां देखने की बात यह है कि इस दौरान उस रोगी का गोल्डेन पीरियड खत्म हो रहा था और कर्मचारी के साथ कुछ भी हो सकता था। अतएव, एम्बुलेंस का प्रयोग कभी भी

प्रशासनिक कार्य हेतु नहीं किया जाए तथा जिस एम्बुलेंस का रिन्यूवल ड्यू है उसे अविलंब कराया जाए। तकि , मंडल अस्पताल में एम्बुलेंस उपलब्ध रहे।

- आउटडोर में कार्य कर रहे चिकित्सकों को उस दौरान दूसरे कार्य पर नहीं लगाया जाए।
- अस्पताल में भर्ती मरीज का खाना रनिंग रूम से जाता है। परंतु खाना की पैकिंग की व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। उसे सही किया जाए।
- मंडल अस्पताल में फिजीथेरेपिस्ट की बहाली अविलंब कराई जाए।
- मंडल अस्पताल में दवा वितरण हेतु दो काउंटर खोले जाएं।
- पी0एम0ई0 में आए कर्मचारियों को 09 से 10 दिन का समय लग रहा है, जिससे मैनेज का भी लॉस हो रहा है। पीएमई पर आए कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर जांच संपूर्ण कराकर उन्हें अविलंब कार्य पर भेजा जाए। यदि इस स्तर पर विलंब हो तो कर्मचारी कर्मचारी के ऑन ड्यूटी ट्रीट किया जाए।
- टीआरडी विभाग में रोस्टर के अनुसार कर्मचारियों को ड्यूटी कराया जाए। वहां के पर्यवेक्षक श्री बैठा जी पर सामूहिक शिकायत भी दर्ज कराई गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि जिन कर्मचारियों द्वारा शिकायत की गई उन्हें ही परेशान किया जा रहा है। वहां के सीसइं द्वारा ठेकेदार का कार्य कर्मचारियों से करवाया जा रहा है। इसकी शिकायत करने पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। हमलोग के द्वारा बार-बार इस बात को पीएनएम स्तर एवं अन्य स्तरों पर भी कह रहे हैं कि कर्मचारियों का शोषण किया जाता रहेगा, तो यूनियन अब वार्ता नहीं करेगी। सीधे लाइन पर बैठेगी और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारे यूनियन का इतिहास गौरवशाली रहा है। हमलोगा वार्ता से समस्याओं का समाधान का प्रयास करते हैं, परंतु यदि बार-बार कहने के बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे।
- मुजफ्फरपुर में जो नया यार्ड का रिमॉडलिंग हुआ है। कर्व नं0 19, 20, 21 एवं 22 में लाईट की व्यवस्था नहीं है। वहां पर पाथवे का निर्माण नहीं होने से शंटिंग पर जा रहे कर्मचारियों को काफी समस्या हो रही है।

क्रमांक	1	<p>सोनपुर मंडल में लोको पायलट शंटर का लगभग 105 पद स्वीकृत है जबकि सिर्फ 05 ही लोको पायलट शंटर उपलब्ध है। शंटिंग का कार्य वरीय सलोपा से लिया जाता है परंतु उनको पदोन्नति नहीं दिया जा रहा है। साथ ही मेमू/डेमू रैंक का शंटिंग लोको पायलट शंटर या लोको पायलट से कराने का नियम है परंतु इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अतः संघ माँग करती है कि अविलम्ब लोको पायलट शंटर के रिक्त पदों को पदोन्नति देकर भरा जाए एवं नियमानुसार नियमानुसार शंटिंग का कार्य करवाया जाए।</p>		
मद सं०	02/21			
संबद्ध	DPO(IC) & Sr.DEE (TRO)	<p>अद्यतन अभियुक्ति</p> <p>कर्मिक विभाग- प्रसलोपा लेवल-04 से लोपा शंटर ग्रेड-॥ लेवल-लेवल-04 के पदोन्नति के मामले में विभागीय अधिकारी वर्मवेड (टी0आर0ओ0) द्वारा वरीयता सह सुयोग्यता जाँच में शामिल होने वाले सभी 94 कर्मचारियों को पदोन्नति हेतु अनिवार्य पदोन्नति कोर्स उत्तीर्ण नहीं होने एवं लोपा शंटर ग्रेड-॥ में पदोन्नति दिये जाने से सलोपा संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक कमी होने से ऑपरेशन इम्बैलेंस होने तथा सुगम गाड़ी परिचालन में कठिनाई होने के शीर्ष पर पदोन्नति के संबंध में सहमति नहीं प्रदान की गई है।</p> <p>विधुत/ओ0पी0 विभाग- नियमानुसार शंटर की रिक्तियों को भरने हेतु सलोपा को वांछित Training कराया जाता जा रहा है। Training पुरा होने के बाद कार्यवाही की जाएगी।</p>	<p>पिछली का बैठक का निर्णय</p> <p>शंटर की रिक्ति को भरने के प्रावधानुसार कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इसको पूर्ण किया जाये।</p>	<p>निर्णय</p> <p>समीक्षा की जाए।</p>

क्रमांक	2	नारायणपुर अनंत में कोई नाला नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में जल जमाव हो जाता है। वहाँ महीनों तक वैसे ही जल जमाव रहता है जिससे कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे नालों का निर्माण किया जाए एवं जल जिसकी निकासी ऐसे जगह किये जाए कि जलजमाव न हो।		
मद सं०	17/21			
संबद्ध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		कार्य प्रगति पर है। जिसे दिनांक 31-12-2023 तक पूरा करा लिया लिया जाएगा।	दिनांक 30-11-2023 तक पूरा करा लिया जाएगा।	दिनांक 15 जनवरी तक पूरा करा लिया जाएगा।

क्रमांक	3	उक्त खण्ड में किसी भी स्टेशन पर रिलिविंग लॉज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे परिचालन विभाग के कर्मचारियों को को काफी असुविधा होती है। अतः संघ ये माँग करती है कि उक्त खण्ड के सभी स्टेशन पर रिलिविंग लॉज की सुविधा यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाए। प्राथमिकता पर सोनपुर एवं दिघवारा में की जा सकती है। बरौनी टीआरडी डिपों में महिला महिला कर्मचारियों के लिए अलग चेजिंग रूम निर्माण की अति आवश्यकता है। टीआरडी डिपों बरौनी में एक कमरा खाली खाली है, उसे महिला कर्मचारियों के लिए चेंजिंग रूम हेतु नामित किया जा सकता है।		
मद सं०	21/21			
संबद्ध	Sr.DEN (C) & Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>इंजी० विभाग- रिलिविंग लॉज के निर्माण के लिए राजस्व निधि के के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त कार्य को योजना शीर्ष 64 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित किया जाएगा।</p> <p>परिचालन विभाग:- इस संबंध में अवगत कराना है कि परिचालन विभाग की तरफ से कुल चिन्हित 53 स्टेशनों पर Relieving Lodge Lodge हेतु फर्नीचर के क्रय हेतु मिसिल प्रस्तुत किया गया। जिसे लेखा विभाग द्वारा अभियुक्ति के साथ कि सभी चिन्हित स्टेशनों पर उक्त सुविधाएँ प्रदान किए जाने से संबंधित मुख्यालय/हाजीपुर की स्वीकृति पत्र माँगा गया है। इस संबंध में पत्राचार के माध्यम से अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।</p>	प्रक्रियाधीन।	प्रक्रियाधीन।

क्रमांक	4	विद्युत लोको शेड/बरौनी में लैब कार्य के लिए अभी तक सीएमएस की नियुक्ति नहीं हो पाई है।		
मद सं०	08/22 (a)			
संबंध	Sr.DEE (TRS) & DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>मविइं(टीआरएस)- विद्युत लोको शेड, बरौनी में लैब कार्य के लिए सीएमएस की नियुक्ति हेतु आरआरबी से बहाली प्रक्रिया करने के लिए पत्र सं०-ईएलएस/बीजेयू/103 दिनांक-03.06.2021 एवं 31.05.2023 को मरेप्र (का)/सोनपुर को दिया गया है तथा वर्तमान में श्री रितेश, एसएसई/ईएलएस/बरौनी को आरडीएसओ लखनऊ को दि०-10.10.2022 से 14.10.2022 तक यूएसटी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया तथा सफल प्रशिक्षणोपरांत यूएसटी का कार्य करवाया जा रहा है, काफी जरूरत होने पर डीजल शेड/समस्तीपुर से सीएमएस को बुलाकर यूएसटी का कार्य करवाया जाता है।</p> <p>कर्मिक विभाग- विद्युत लोको शेड/बरौनी के रिक्त पद सी०एम०एस० (पद-01) एवं सीएमए (पद-02) पर आर०आर०बी० के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु, इस कार्यालय पत्र सं०- का/256/ईएलएस/विविध/बरौनी/ दि० 03.07.2023 द्वारा महाप्रबंधक /कर्मिक/हाजीपुर को पत्र दिया गया है एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक/यांत्रिक कारखाना पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर को पत्र सं० ECR-HQOPERS(MECH)11/2021 Comp. No. 220712 दि० 13.07.2023 के द्वारा CMS/L-07, 01 पद एवं CMA/L-07, 02 पद भरे जाने हेतु प्रेषित किया गया है। साथ ही अन्य मंडलो में कार्यरत मौजूदा कर्मचारियों का स्थानांतरण करते हुये रिक्ति को भरने जाने हेतु महाप्रबंधक/कर्मिक/ हाजीपुर को दि० 18.12.2023 द्वारा पत्र लिखा गया है।</p>	विकल्प आमंत्रित किया जाए।	यथावत।

क्रमांक	5	NER & NFR में सोनपुर के गाड़ी मैनेजर को होने वाले परेशानी के संबंध में।		
मद सं०	16/22	सोनपुर मंडल के गाड़ी मैनेजर मुख्यतः एनईआर एवं एनएफआर के क्रमशः छपरा, बनारस, गोरखपुर एवं कटिहार प्वाइन्ट पर गाड़ी लेकर जाते हैं। उन दोनों रेलवे में लाईन बॉक्स बंद कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में सोनपुर मंडल के गाड़ी मैनेजर को वहाँ लाईन बॉक्स लेकर गाड़ी कार्य करते हुए जाने में काफी असुविधा होती है। अतः संघ माँग करती करती है कि उन दोनों रेलवे से बात कर समस्या का निदान किया जाय ताकि गाड़ी मैनेजर अपने संरक्षा उपकरणों के साथ गाड़ी परिचालन का कार्य सुचारू रूप से कर सके।		
संबंध	Sr.DOM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		महाप्रबंधक पूर्व मध्य रेल हाजीपुर महोदय के बरौनी स्टेशन के निरीक्षण दिनांक: 30.11.2023 के दौरान रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक: 21.02.2022 के आलोक में निर्देशित किया गया है कि सभी गाड़ी प्रबंधकों को ट्रॉली बैग या 5000 रु प्रत्येक तीन वर्ष पर के अंतराल पर दिया जाए। इस संबंध में मंडल स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।	15 नवंबर तक इसे फाइनलाइज किया जाए।	31 दिसम्बर तक आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं।

क्रमांक	6	एक तरफ लगातार सफाई कर्मचारियों का पद समाप्त किया जा रहा है, परंतु सफाई की उचित व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे रेल कर्मचारियों के आवासों (कॉलोनीयों) का सफाई सही से नहीं हो रहा है। अतः संघ माँग करती है कि कॉलोनी की साफ सफाई की उचित व्यवस्था किया जाय।		
मद सं०	05/22			
संबंध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		अमरेंद्र महोदय द्वारा समुचित निगरानी की जा रही है।	अमरेंद्र-॥ कृपया समुचित निगरानी हेतु कार्ययोजना बनाएं।	नमित एजेंसी की सूचना यूनियन को दी जाए। मद बंद।

क्रमांक	7	ईस्टर्न रेलवे कॉलोनी गढ़हरा में लगभग 50 ऐसे आवास हैं जिसमें पानी की टंकी नहीं है और जिन आवासों में पानी की टंकी है, वो जर्जर अवस्था में हैं। जिससे रेल कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः संघ मांग करती है कि उक्त रेलवे कॉलोनी में नई पानी टंकी लगाई जाय।		
मद सं०	04/23			
संबद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		IRPSM पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इस कार्य को प्रस्तावित प्रस्तावित किया गया है। कार्य स्वीकृत होने पर यह कार्य कराया जाएगा।	24 घण्टे पानी आपूर्ति की कार्ययोजना तैयार की जाए।	प्रक्रियाधीन।

क्रमांक	8	अभियंत्रण विभाग में गेट पर कार्यरत कर्मचारियों को समय से बैट्री निर्गत नहीं किया जाता है जिससे प्रोसिड सिंगनल देने देने में फी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।		
मद सं०	05/23 (a)			
संबद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		बैट्री एक स्टॉक मद है। इस सामग्री का आपूर्ति समस्तीपुर भंडार डिपो के माध्यम से होता है। सभी इंजी० इकाई आवश्यकतानुसार अपना - अपना डिमांड UDM Portal के माध्यम से प्रेषित कर सामग्री की आपूर्ति करते आ रहे हैं। साथ ही साथ अभी जो ट्रॉच उपलब्ध करायी जा रही है। वो Chargeable है। इसलिए बैट्री की आवश्यकता नहीं है।	प्रक्रियाधीन।	समीक्षा करते हुए भत्ता देने की कार्रवाई करें।

क्रमांक	9	पेट्रोलमैन को सर्दी का जैकेट तथा ट्रैकमेन्टेनर को जूता नहीं दिया गया है एवं सोनपुर मंडल के एस0एस0ई0/जेई0/रेल पथ के यहाँ से कार्ड पास नवीनीकरण एव नया प्राप्त नहीं हो रहा है।		
मद सं0	05/23 (b)	अतः संघ माँग करती है कि अभियंत्रण विभाग के उक्त समस्याओं का निदान यथाशीघ्र किया जाय।		
संबद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		ट्रैकमेन्टेनर को जूता सभी यूनिट में वितरित कर दिया गया है। सर्दी का जैकेट के लिए क्रय आदेश दिनांक 11-12-2023 को जारी हो चुका है। सामग्री की आपूर्ति होते ही सभी यूनिट में वितरित कर दिया जायेगा।	सर्दी का जैकेट 15 नवंबर तक वितरित किया जाएगा। जूते का वितरण चेक किया जाए।	सर्दी का जैकेट 31 December 2023 तक वितरित किया जाएगा। मद बंद।

क्रमांक	10	ऐसा देखा जा रहा है कि कई मंडलो में आर्टिजन कर्मचारियों (अभियंत्रण) को वर्दी भत्ता दिया जा रहा है परंतु अपने मंडल मंडल में भुगतान नहीं किया जा रहा है। अतः संघ माँग करती है कि इसकी समीक्षा कर वर्दी भत्ता का एरियर सहित भुगतान किया जाय।		
मद सं0	12/23			
संबद्ध	DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		रेलवे बोर्ड का पत्र आर0बी0ई0 141/2017 दिनांक 03.10.2017 के आदेश में वसेई/पथ के ट्रैक मैन को वर्दी भत्ता देने के लिए आदेशित है। वमइं(समन्वय)/सोनपुर एवं वमपचाप्र/सोनपुर को इस कार्यालय के पत्र दि0 19.12.2023 के माध्यम से इस आशय की पुष्टि हेतु अनुरोध किया गया है कि इर्जी0 विभाग में आर्टिजन कौंटी के कर्मचारियों को इस प्रावधान को लागू होने से पूर्व वर्दी की आपूर्ति की जाती थी अथवा नहीं। साथ ही वमइं/समन्वय से यह भी अनुरोध किया गया है कि आर्टिजन श्रेणी के कर्मचारियों को ड्युटी हेतु क्या वर्दी निर्धारित है कि सूचना इस कार्यालय को दी जाए।	नियमानुसार कार्रवाई की जाए।	प्रक्रियाधीन।

क्रमांक	11	सोनपुर मंडल के परिचालन गेट जिसका टीवीयू 50000 से अधिक है एवं कार्य का दबाव अधिक है। वहाँ 8 घंटों का ड्यूटी रोस्टर लागू किया जाये।		
मद सं०	18/23			
संबद्ध	Sr DOM Sr.DEN(C) DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>परिचालन विभाग- विदित हो कि परिचालन विभाग के अंतर्गत सभी सभी गेट जिनका टीवीयू 50000 से अधिक है, कर्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए ड्यूटी रोस्टर के अनुसार उन पर 8 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, एवं जिन गेटों का टीवीयू का हाल ही में बढ़ोतरी हुई है, उन गेट हेतु रोस्टर जारी करने हेतु कर्मिक विभाग विभाग को लिखा गया है। जारी होने पर अविलंब नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।</p> <p>इंजीनियरिंग विभाग- सिर्फ 5 गेटों पर 12 घंटों का ड्यूटी रोस्टर लागू है। है। जो निम्नलिखित है-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LC No 16, BJU-HJP Sec. 2. LC No 2C, HJP-CI Sec. 3. LC No 21/C/E, MNE-KGG Sec. 4. LC No 49/B, BCA-SPJ Sec. 5. LC No 29C, HJP-MFP Sec. <p>इन सभी गेटों पर 8 घंटों का ड्यूटी रोस्टर लागू करने की प्रक्रिया की जायेगी।</p>	शीघ्रतापूर्वक इसे कराया जाए।	समीक्षा की जाए।

क्रमांक	12	सोनपुर मंडल के अधिकांश आवासों में बिजली की वायरिंग वर्षों पुराना एवं जर्जर स्थिति में है। जिसमें कभी भी दुर्घटना घट सकती है। अतः संघ माँग करती है कि इसकी समीक्षा कर आवासों में विद्युत का नया अण्डर वायरिंग कराया जाए। खास कर वैसे आवासों का जिसमें अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है।		
मद सं०	23/23			
संबद्ध	DEE/IC/G	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		क्वार्टर के वायरिंग हेतु एक कार्य PH-51 में प्रस्तावित किया गया है। कार्य स्वीकृति होने के पश्चात् रेल आवास में वायरिंग का करा लिया जाएगा। पिछले 05 साल से यह कार्य PH-51 में प्रस्तावित किया जा रहा है। परन्तु यह कार्य स्वीकृति नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कुछ जर्जर स्थिति वाला रेल क्वार्टर को चिन्हित कर Revenue में कार्य कराने हेतु प्रस्ताव पर मंरेप्र/सोनपुर महोदय के स्वीकृति के उपरांत 320 युनिट टाइप-I, 97 युनिट टाइप-II, 40 युनिट टाइप III एवं 03 युनिट टाइप IV (460युनिट) का निविदा किया गया है, जो 29.12.2023 को निविदा खुलेगा। क्वार्टर का लिस्ट युनियन को दे दिया गया है।	सर्वे सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट की प्रति यूनियन को दिया जाए, ताकि यूनियन के द्वारा उसे अवलोकित किया जा सके।	मद बंद।

क्रमांक	13	रनिंग कर्मचारियों को लम्बे समय से डायरी का वितरण एवं वाटर बोतल का वितरण नहीं हो रहा है। साथ ही, प्रत्येक तीन वर्ष पर बैग देने का भी प्रावधान है, जो नहीं दिया जा रहा है। उपरोक्त समाग्री का वितरण सुनिश्चित किया जाय।		
मद सं०	25/23			
संबद्ध	Sr.DEE(TRO)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		वाटर बोतल का क्रय नॉन स्टॉक की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में मंडल वित्त/सोनपुर के पास सहमति हेतु गया है।	यथावत।	प्रक्रियाधीन।

क्रमांक	14	<p>सोनपुर पैनल एवं उप-स्टेशन अधीक्षक कार्यालय को वातानुकूलित करने के संबंध में।</p> <p>सोनपुर पैनल दूसरी मंजिल पर है एवं कार्यालय की बनावट इस प्रकार है कि गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है, है, जिससे कार्य करने में असुविधा होती है। साथ ही, सोनपुर के उप-स्टेशन अधीक्षक कार्यालय प्लेटफार्म पर अवस्थित है है जिससे प्लेटफार्म का कोलाहल भी एकाग्रता को भंग करता है। अतः संघ यह माँग करती है कि दोनों कार्यालय को अविलम्ब वातानुकूलित किया जाय।</p>		
मद सं०	42/23			
संबद्ध	Sr.DOM & DEE(IC)/G Sr.DEN/C	<p>अद्यतन अभियुक्ति</p> <p>परिचालन विभाग- विधुत (सामान्य) विभाग द्वारा ए0सी लगाने एवं Proper कार्य करने हेतु सोनपुर पैनल पर Partition किया जाना इंजी० विभाग द्वारा अपेक्षित है। Partition करने के पश्चात् ही AC लगाया जाना संभव होगा।</p> <p>विधुत सामान्य- सोनपुर पैनल एवं उप-स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में वातानुकूलित मंशीन (ए0सी0) लगाने हेतु वर्तमान ए0सी0 साईट पर रखवा दिया गया है इंजी० विभाग (सीसेई/कार्य/सोन० एवं वंमई/समन्वय/सोन०) को सिविल वर्क कराने के लिये दिनांक 11.10.2023 को पत्र लिखा गया है तत्पश्चात् AC installation करा दिया जायेगा। सोनपुर पैनल हॉल में ए0सी0 लगाने के लिए Proper Partition एवं close area करने की आवश्यकता है। वर्तमान में वहाँ Open Area है, जिसके वजह से ए0सी0 सुचारु रूप से निरन्तर चलने में ए0सी0 का कम्प्रेसर खराब होने की संभावना बनी रहेगी। अतः सोनपुर पैनल हॉल का Partition करके close करने की आवश्यकता है।</p>	<p>पिछली का बैठक का निर्णय</p> <p>31 दिसम्बर तक इसे पूर्ण कर लिया जाए।</p>	<p>निर्णय</p> <p>मद बंद।</p>

क्रमांक	15	बरौनी जं० पर अवस्थित समाडि/ट्रेन पार्सिंग कार्यालय (एमजी) बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसे अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाय या मरम्मत किया जाय जिससे कर्मचारी सुरक्षित कार्य कर सके।		
मद सं०	46/23 (b)			
संबंध	Sr.DME Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		यांत्रिक विभाग- निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। इंजी. विभाग- दिनांक 15.01.2024 तक कार्य को पूरा करा लिया जायेगा।	वमड़ (स०) द्वारा वहां 15 /15 का कमरा बनवाया जाए।	वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए।

क्रमांक	16	रनिंग रूम कार्यरत हेल्पर को रनिंग रूम से हटाने के सबध में ।		
मद सं०	49/23	रनिंग रूम सोनपुर में कार्यरत हेल्पर का लियन मैकेनिकल विभाग में निर्धारित किया गया था। अतः संघ यह मांग करती है कि पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुसार इनका लियन मैकेनिकल विभाग में किया जाय।		
संबंध	Sr.DEE (TRO) Sr.DME DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		विधुत/ओ०पी०- 01. पूर्व में सभी क्रू लॉबी एवं रनिंग रूम मेकेनिकल विभाग के अधीन थे। 02. हेल्पर के पद पर कार्यरत कर्मचारियों एवं नियंत्रण भी मेकेनिकल विभाग के पास था। 03. चूंकि क्रू लॉबी एवं रनिंग रूम दि० 22.05.2020 से टीआरओ विभाग के अधीन किया गया है। अतएव हेल्पर के पद पर कार्यरत कर्मचारी एवं पद टीआरओ विभाग के अधीन रखा गया है, इसलिए इन्हें टीआरओ विभाग में ही रखा जाए। यांत्रिक समाडी विभाग- बार-बार पत्राचार के उपरान्त उक्त का अनुपालन कर्मिक विभाग के द्वारा Computer no 184625 Date 18.08.23 के तहत उपरोक्त कर्मचारियों को विरमित कराने हेतु विधुत/टीआरओ/सोन० के पास प्रस्तुत की गई थी परन्तु उक्त (Computer no 184625) के अनुपालन में वर्तमान समय तक	अविलम्ब निपटारा किया जाए।	यथावत।

		<p>कर्मचारियों को उनके मूलविभाग में विरमित करने से संबंधित कोई प्रक्रिया अमल में नहीं लायी गई है।</p> <p>कामिक विभाग-कर्मचारी को मूल विभाग में वापस करने हेतु फाइल सं0 184625, Sr.DME के माध्यम से Sr.DEE (TRO) सोनपुर को प्रेषित किया गया है। अभी जिसमें कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है।</p>		
--	--	---	--	--

क्रमांक	17	एस0एस0ई0/कैरेज/नारायणपुरअनंत में कर्मचारियों एवं समानों की कमी के संबंध में।										
मद सं0	51/23	उक्त जगह पर कर्मचारियों के रिक्तियों के बावजूद गाड़ी फिट करने के लिए मात्र चार घण्टे का समय निर्धारित है। ऐसे स्थिति में गाड़ियों का परीक्षण सही से नहीं हो पाता है। साथ ही Break Block, Break Shoe key, Door eye bolt, Push rod safety knuckle pin, आदि की भारी कमी रहती है। ऐसे में जबरन फीट दिलवाना संरक्षा से खिलवाड है। अतः संघ यह माँग करती है कि उक्त कमी को दूर किया जाय।										
संबद्ध	Sr.DME	अद्यतन अभियुक्ति			पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय						
		NRPA Fright Depot Staff Position			वमयाइं इसकी समीक्षा करें।	मद बंद।						
		<table><tr><th>Sanction</th><th>On Roll</th><th>Vacancy</th><th>In coming</th><th>Out going</th><th>Total</th></tr><tr><td>152</td><td>100</td><td>52</td><td>20</td><td>09</td><td>120-09 =111</td></tr></table>	Sanction	On Roll			Vacancy	In coming	Out going	Total	152	100
Sanction	On Roll	Vacancy	In coming	Out going	Total							
152	100	52	20	09	120-09 =111							
नपुआ0/डिपो में वर्तमान समय में 11 कर्मचारियों द्वारा योगदान किया गया है। जिससे रेल अनुरक्षण कार्य को समय से करने में सुविधा हुई है। इसके अतिरिक्त Outsourcing के माध्यम से अनुरक्षण कार्य कराने की प्रक्रिया चल रही है। अनुरक्षण से संबंधित संबंधित उपरोक्त समाग्री प्रचुर मात्रा में नपुआ0/डिपो में उपलब्ध है।												

क्रमांक	18	टावर वैगन चालक का वेतन निर्धारण के संबंध में।		
मद सं०	52/23	रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार टावर बैगन चालक को भी वेतन निर्धारण 7वें वेतन आयोग के अनुसार रनिंग कर्मचारियों के अनुसार ही किया जाना था। परंतु टावर बैगन चालक को फिटमेन्ट फैक्टर 2.57 से गुणा किया जबकि 3.01 से गुणा कर कर वेतन निर्धारण करना था। अतः संघ यह मांग करती है कि टावर बैगन चालक का सही फिटमेन्ट फैक्टर से वेतन निर्धारण कर एरियर का लाभ दिया जाय।		
संबद्ध	DPO(IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		रेलवे बोर्ड के पत्र सं०- PC/VII/2016/IC/2/ दिनांक 21.08.2017 (RBE NO 99/2017) के आलोक में सोनपुर मंडल के कार्यरत टावर वैगन चालक का सप्तम वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण फिटमेंट फैक्टर 2.945 से किया गया है।	दानापुर से संदर्भ कर मार्गदर्शन लेते हुए कार्रवाई की जाए।	मद बंद।

क्रमांक	19	सोनपुर एवं नारायणपुर अनंत से कर्पूरीग्राम खण्ड में ट्रैकमेन्टेनर के लिए कोई गैंग हट नहीं है। अतः संघ मांग करती है कि सोनपुर स्टेशन के साथ-साथ उक्त खण्ड पर यथाशीघ्र गैंग हट का निर्माण किया जाये।		
मद सं०	53/23			
संबद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		सोनपुर के ट्रैक डिपो के बगल में Type-I क्वार्टर सं० 241 खाली है। जिसे गैंग गैंग हट के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ढोली एवं भगवानपुर में गैंगहट का निर्माण हो चुका है। नारायणपुर अनंत में कार्य कराया जा रहा है।	यूनियन के साथ सर्वे करा कर गैंगहट का स्थल चिन्हित कर लिया जाए तथा इसे अविलंब पूरा करा लिया जाए।। ।	मद बंद।

क्रमांक	20	ट्रैकमेन्टेनर के कार्य अवधि के संबंध में ।		
मद सं०	55/23	ट्रैक अनुरक्षण प्रभावित न हो इस हेतु ट्रैकमेन्टेनर विपरित मौसम एवं परिस्थिति में भी कार्य करते हैं। बावजूद इसके इनलोगों से निर्धारित समय सीमा अधिक कार्य लिया जाता है। जिससे, समाजिक एवं परिवारिक दायित्व निर्वाह नहीं कर पाते हैं एवं मानसिक तनाव में रहते हैं । अतः संघ यह मांग करती है कि ट्रैकमेन्टेनर से 8 धंण्टे से अधिक कार्य न लिया जाय एवं भोजन अवकाश भी 30 मिनट किया जाये।		
संबद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		ट्रैकमेन्टेनर से 8 घंटा ही कार्य लिया जाता है, जो भोजन अवकाश अवकाश के अनुरूप एवं रोस्टर से ही निर्धारित है। जहाँ तक भोजन अवकाश का समय कम करने का प्रश्न है। यह रोस्टर में बदलाव उच्च स्तर का मामला है।	वमड़ं/समन्वय इसकी समीक्षा करें।	वमड़ं/समन्वय इसकी समीक्षा करें।

क्रमांक	21	सोनपुर मंडल में सभी विभागों में विशेषकर अभियंत्रण एवं टीआरडी विभाग में कर्मचारियों को गलत ढंग से आरोपित करने करने के संबंध में। उदाहरण स्वरूप- 1. मो० हमजा ट्रैकमैन गैंग सं०-09 को कार्य के दौरान गलती के लिए दण्ड दिया गया, जबकि वह कार्य क्षेत्र उसके अधीन नहीं है। दूसरे कर्मचारी को बचाने लिए मो० हमजा को आरोपी बनाया गया इसकी जाँच कर कार्यवाही किया जाय। 2.नितेश कुमार राय, टेक-॥ एवं प्रदीप कुमार टेक०-॥।। अधीन-एस०एस०ई०/टीआरडी/सोनपुर के मामले को देखा जा सकता है।		
मद सं०	57/23			
संबद्ध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		इंजी० विभाग- 1. मो० हजमा ट्रैकमैन गैंग सं०-09 में कार्यरत है। है। की मैन के पद पर गैंग सं०-09 गैंग बीट पूसा रोड-दूबहा के बीच है। कि०मी० 48/13-15 से 55/23-25 तक इन्ही के बीच में जुगल फिश प्लेट का वोल्ट लूज पाया गया और 20 अदद ERC ERC गिरा हुआ पाया गया इसलिए SF-11 समई/द०/मुजफ्फरपुर द्वारा दिया गया है। कर्मचारी का आरोप वेबुनियाद है। इस मद बन्द किया जाए। टी०आर०डी० विभाग- कार्य के प्रति सजगता एवं संरक्षा के	अमरेप्र-॥ महोदय समीक्षा करें।	अमरेप्र-॥ महोदय समीक्षा करें।

		दृष्टिकोण से प्रशानिक स्तर पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।		
--	--	---	--	--

क्रमांक	22	मानसी-सेमापुर रेलवे कॉलोनी में पुराने वृक्ष हैं जो सूख गये हैं। हल्की बारिश एवं हवा बहने पर टूट कर गिरने का डर रहता है। ऐसे वृक्षों के गिरने से जान-माल का खतरा भी है। अतः संघ माँग करती है कि पुराने वृक्षों को चिन्हित कर कर उनको कटवाया जाये।		
मद सं०	59/23			
संबंध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		As and where basic पर Auction के लिए वृक्ष को चिन्हित कर Quantity wise details बनाने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। TDC: 31.01.2024	खरीक एवं थानाबिहपुर में रेल आवास के बगल में जो सूखे पेड़ हैं, उसको 30.11.2023 तक काटा जाए।	थानाबिहपुर में जंगल काटाई का कार्य करा दिया गया है। अन्य स्टेशनों पर भी कार्य कराया जाएगा।

क्रमांक	23	सहायक मंडल अभियंता, थानाबिहपुर अधीन सुपरवाइजर द्वारा मनमाने ढंग से स्थानान्तरण करने के संबंध में। समई/थानाबिहपुर के पर्यवेक्षक द्वारा मनमाने ढंग से स्थानान्तरण गैंग परिवर्तन करके कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों के बार-बार कार्यस्थल परिवर्तन से भी परेशानी होती है। अतः संघ मांग करती है कि जिसकी पदस्थापना जहाँ पर हो उससे वहीं कार्य लिया जाये।		
मद सं०	61/23			
संबंध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		सहायक मंडल अभियंता/थानाबिहपुर के पत्रांक सं० EW/9/ECRU/THB/1117 दि० 16-10-2023 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि यह आरोप बेबुनियाद है। आज तक किसी भी कर्मचारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। लेकिन ट्रेन की सुरक्षित परिचालन हेतु ट्रेन की सुरक्षा एवं संरक्षा को सर्वोपरी मानते हुए वेल्डींग टीम या लोहार टीम में स्थायी रूप से कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण, कार्य अधिक रहने के	वमड़ (स०) के द्वारा इसकी जांच की जाए।	यथावत।

		उपरान्त उसे नजदीकी गैंग से प्रतिनियुक्तियों पर कर्मचारियों को भेजा जाता है, फिर उसे पुनः गैंग मुख्यालय वापस भेज दिया जाता है।		
--	--	---	--	--

क्रमांक	24	सेमापुर से मानसी खण्ड में रेल कॉलोनीयों में विद्युत सप्लाई हेतु ओवर हेड वायर काफी पुराना एवं जर्जर है, जिस कारण हल्की बारिश एवं तूफान में तार टूट जाता है एवं विद्युत सप्लाई 02-03 दिन बंद रहता है, जिस कारण एवं उनके परिवार को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः संघ माँग करती है कि अन्य जगहों की तरह ही विद्युत केबल एवं पोल लगाया जाय। जिससे कर्मचारियों के आवासों में निर्वाध रूप से विधुत आपूर्ति हो सके।		
मद सं०	64/23			
संबद्ध	DEE(IC)/G	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		इस कार्य हेतु Over Head wire supply कार्य स्वीकृति हुआ है। इसका विस्तृत प्राक्कलन लेखा विभाग में दि० 04.12.2023 को विधिक्षण हेतु प्रेषित किया गया है। विधिक्षण उपरांत निविदा की प्रक्रिया की जाएगी।	तीन महीने के अंदर पूरा कराया जाए।	28-02-2024 तक कार्य पूर्ण कराया जाए।

क्रमांक	25	टी०आर०डी०, डि०, सोनपुर में कर्मचारियों के बैठने के लिए कोई रूम चिन्हित नहीं है। पहले से जो रूम था उसे स्टोर रूम में बदल दिया गया है। साथ ही साइकिल स्टैंड भी नहीं है। अतः संघ यह माँग करती है, कि कर्मचारियों को बैठने बैठने के लिए रूम उपलब्ध कराया जाय एवं साइकिल स्टैंड का निर्माण कराया जाय।		
मद सं०	66/23			
संबद्ध	Sr.DEN(C) Sr. DEE(TRD)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		इजी. विभाग- इस कार्य को राजस्व निधि से कराया जायेगा। TDC: 28.02.2024 विधुत/टीआरडी- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक: ईएलडी/एसईई/ई/02/103 दिनांक: 14.03.2023, ईएलडी/एसईई/ई/02/138, दिनांक: 19.06. 2023 एवं ईएलडी/एसईई/ई/02 दिनांक: 28.09.2023 के द्वारा मरेप्र(इंजी०)/सोनपुर को मोटरसाइकिल	TDC- 31.12.2023	TDC- 28.02.2024

		स्टैंड एवं कर्मचारियों के बैठने के लिए रूम बनाने हेतु प्रस्ताव दिया जा चुका है।		
--	--	---	--	--

क्रमांक	26	टी0टी0ई0 रेस्ट हाउस की सुविधा गार्ड/लोको पायलट के रनिंग रूम के समान देने के संबंध में।		
मद सं0	70/23	रेलवे बोर्ड के पत्रांक सं0- 2018/टीजी-वी/1/3 दिनांक-17.05.2023 के अनुसार टीटीई रेस्ट हाउस की सुविधा गार्ड/लोको पायलट के रनिंग रूम के समान दिया जाना है, जिसमें खाने की सुविधा शामिल है, परन्तु बरौनी रेस्ट हाउस हाउस की स्थिति बहुत खराब है चादर, तकिया, मच्छरदानी ,आदि बहुत ही गंदे स्थिति में रहता है । एक ही कुलर है जो खराब है पीने का पानी का आर0ओ0 कई महीनों से खराब है। अतः यूनियन माँग करती है कि रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशानुसार रनिंग रूम के समान सुविधा उपलब्ध कराया जाय।		
संबद्ध	Sr.DCM DEE(IC)/G Sr.DMM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>वाणिज्य विभाग- बरौनी टीटीई रेस्ट हाउस में गार्ड/लोको पायलट के रनिंग रूम के तर्ज पर सुविधा दिए जाने हेतु वर्ष 2024-25 के PH-64 में कार्य प्रस्तावित किया जा चुका है।</p> <p>बरौनी टीटीई रेस्ट हाउस में साफ-सफाई, कैटरिंग, केयर टेकर, watch & ward, लिनेन, धुलाई आदि कार्य किये जाने हेतु निविदा से से संबंधित मिसिल अनुमानित लागत के विस्तृत विवरण के विधिक्षण हेतु लेखा विभाग को को प्रेषित की गई थी। लेखा विभाग विभाग के द्वारा उठाए गए टिप्पणी तैयार कर मिसिल पुनः लेखा विभाग को विधिक्षण हेतु भेजा गया है। लेखा विभाग द्वारा विधिक्षण के उपरांत निविदा आमंत्रित कर निस्तारण कर दिया जायेगा। बरौनी टी0टी0ई0 रेस्ट हाउस में अन्य सामान जैसे माइक्रोवेव वाशींग, मशीन, शू-शाइनर, प्राप्त हो चुके हैं। बाकी समान संवेदक द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।</p> <p>विधुत/सामान्य- TTE रेस्ट हाउस में AC लगाने हेतु वाणिज्य विभाग विभाग द्वारा PH-53 में प्रस्ताव (Proposal) बना कर विधुत विभाग</p>	<p>वमवाप्र एवं मविइं(प्र0)/ सामान्य द्वारा सभी समस्याओं का समाधान15 दिन के अंदर इसको पूरा करा लिया जाएगा। साथ ही, स्टोर विभाग से संबंधित सामानों की खरीदारी हेतु वमसाप्र त्वरित कार्रवाई करें।</p>	प्रक्रियाधीन।

		<p>से संबंधित ए0सी0 स्टीमेट IRPSM पोर्टल पर मॉग करना चाहिए चाहिए एवं कार्य स्वीकृत होने के पश्चात् TTE रेस्ट हाउस में AC का कार्य करा दिया जायेगा। दिनांक-10.10.2023 को इस संबंध में वाणिज्य विभाग को प्रस्ताव (Proposal) DRM LSG में प्रेशित करने करने हेतु लिखा गया है। TTE रेस्ट हाउस में लगे कूलर को ठीक करा दिया गया है।</p> <p>स्टोर विभाग - बरौनी टीटीई रेस्ट हाउस के लिये वांछित सामग्री वाशींग मंशीन, माइक्रोवेव, तथा शू-शाइनर की आपूर्ति हो चुकी है व अन्य सामग्री यथा-स्टील अलमीरा, लॉकर, वॉटर कूलर आर0ओ के साथ, इंसेक्ट कीलर तथा इलेक्ट्रीक आयरन एक सप्ताह में आपूर्ति आपेक्षित है।</p>		
--	--	--	--	--

क्रमांक	27	रेलवे अस्पताल गढ़हरा की जर्जर स्थिति के संबंध में।		
मद सं०	72/23	रेलवे अस्पताल गढ़हरा के दिवार चौखट, बेड, स्ट्रेचर, फर्नीचर आदि जर्जर स्थिति में है इसमें सुधार की आवश्यकता है। अतः संघ यह मॉग करती है कि रेलवे अस्पताल उपरोक्त कमी को दूर किया जाय।		
संबद्ध	CMS Sr.DEN (C) DEE(IC)/G	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>चिकित्सा विभाग- इस हेतु संबंधित को सूचित किया गया है।</p> <p>इजी. विभाग- सिविल कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के राजस्व निधि के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत किया गया है जिसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।</p> <p>विधुत/सामा०- रेलवे अस्पताल गढ़हरा में 10 अद्द विंडो एसी लगा हुआ है जिसमें से 02 एसी खराब है एवं मरम्मत के योग्य नहीं है। दोनों खराब ए0सी0 को दि० 17.10.2023 को बदलकर नया ए0सी0 लगा दिया गया है ।</p>	वमइं (स०) एवं मविइं (प्र०)/सामान्य इसकी समीक्षा करे	वमइं (स०) एवं मविइं (प्र०)/सामान्य इसकी समीक्षा करे

क्रमांक	28	विद्युत लोको शेड, बरौनी के रेल आवास सं0-202,201,301 के सामने स्ट्रीट लाईट हाईमास्ट लगवाया जाय। कई महीनों से अंधेरा है।		
मद सं0	73/23 (a)			
संबद्ध	Sr.DEE(TRS) DEE(IC)/G	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		विधुत/टी0आर0एस0- यह विद्युत/सामान्य विभाग के कार्यालय से संबंधित है। विधुत/सामान्य -विधुत लोको शेड बरौनी के रेल आवास संख्या- गया है।	Sr.DEE/TRS इसकी मानिट्रिंग करें।	यथावत।

क्रमांक	29	विद्युत लोको शेड, बरौनी में आर0 ओ0 नहीं है, जिससे कर्मचारी को शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। अतः आर0 ओ0 लगवाया जाय।		
मद सं0	73/23 (b)			
संबद्ध	Sr.DEE(TRS) Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		टी0आर0एस0/बरौनी- विधुत लोको शेड, बरौनी में आर. ओ. खरीद हेतु GeM के द्वारा पी.ओ. जेनरेट हो गया है तथा माह जनवरी 2024 तक शेड में आर0 ओ0 लग जायेगा। इंजी0 विभाग- आर0 ओ0 विद्युत विभाग द्वारा लगाया जाना है।	Sr.DEN/C इसकी समीक्षा करें! Sr.DEE(TRS) आर0ओ0 खरीद की प्रक्रिया शुरू करें।	P.O जारी हो चुका है। मद बंद।

क्रमांक	30	श्री अनिरुद्ध प्रसाद खरवार, एच0ए0 रेलवे स्वास्थ्य केन्द्र मुज0 कोविड काल में अपने माता एवं पिता के मृत्यु के कारण लगातार अपने इयुटी से अनुपस्थित रहे। इस कारण इन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संघ माँग करती है कि परिस्थितिजन्य अनुपस्थिति को देखते हुए इनके आवेदन पर विचार कर पुनः इन्हें एक बार सेवा का मौका दिया जाय।		
मद सं0	74/23			
संबंध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		दिनांक:-23.03.2023 को मंरेप्र(का0)/सोनपुर द्वारा श्री अनिरुद्ध प्रसाद खरवार को इस संबंध में प्रमुचिनि/हाजीपुर को पुनरिक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।	यथावत।	मद बंद।

क्रमांक	31	सोनपुर यार्ड ए0आर0टी0 साईडिंग जाने हेतु पाथवेय निर्माण के संबंध में। सोनपुर यार्ड ए0आर0टी0 साईडिंग जाने वाला पाथवेय टूट चुका हैं। ऐसे में कर्मचारियों को वहाँ पहुँचने में काफी असुविधा होती हैं। कभी कोई दुर्घटना भी घट सकती है। अतः संघ माँग करती है कि उक्त पाथवे का निर्माण यथाशीघ्र करवाया जाये।		
मद सं0	75/23			
संबंध	Sr.DEN (C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		एप्रोच पथ का कार्य करा दिया गया है। पाथवे का कार्य दिनांक 28-02-2024 तक पूरा करा लिया जाएगा।	30-11-2023 तक पूरा करा लिया जाएगा।	28-02-2024 तक पूरा करा लिया जाएगा।

क्रमांक	32	अभियंत्रण विभाग में पद के अनुरूप कार्य नहीं किये जाने के संबंध में। अभियंत्रण विभाग में पद के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। एवं ट्रैकमैन का शोषण अत्याधिक हो रहा है की-मैन से से लाईन के किनारे का जंगल काटने हेतु दबाब बनाया जाता है। अतः संघ माँग करती है कि अभियंत्रण विभाग के पी-वे वे मॅनुअल के अनुसार ही कर्मचारियों से कार्य लिया जाय।		
मद सं0	80/23			
संबंध	Sr.DEN(C)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		भारतीय रेल पथ नियमावली जून 2020 के अनुसार ट्रैकमैन से कार्य लिया जाता है।	वमइ/सम0 चेक करें।	यह सुनिश्चित किया जाए कि घास की कटाई

				मशीन के द्वारा रही है। मद बंद।
--	--	--	--	--------------------------------------

क्रमांक	33	परिचालन विभाग में पर्यवेक्षकों का मिलने वाले अंशदाय राशि के लिए जीएसटी वाला बिल का रसीद मांगा जा रहा है जबकि छोटे-छोटे खर्चों के लिए यह संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः संघ माँग करती है कि कुछ छोटे-छोटे राशि वाले बिल को जीएसटी बिल से मुक्त रखा जाय।		
मद सं०	83/23			
संबद्ध	Sr.DOM Sr.DFM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>परिचालन विभाग- इस संबंध में वमविप्र/सोनपुर द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाना अपेक्षित है।</p> <p>लेखा विभाग- Cash Imprest bill के लिए चेक लिस्ट से संबंधित सभी सभी शाखाधिकारी को पत्र सं-लेखा/व्यय/विविध/पत्राचार/2023 दिनांक:-22.09.2023 को जारी किया गया है। जिसके अनुपालन के साथ ही Cash Imprest bill पास करने हेतु प्रस्तुत किया जाए।</p>	वमविप्र/ सोन इसकी समीक्षा करें।	वमविप्र/ सोन इसकी समीक्षा करें।

क्रमांक	34	स्टेशन मास्टरों का पदोन्नति L-08 से L-09 में देने का आदेश दिनांक- 01.12.2022 को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया। अन्य मंडलो में यह लागू हो गया है परंतु सोनपुर मंडल में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है, उक्त आदेश मंडल में भी लागू किया जाय।		
मद सं०	84/23			
संबद्ध	DPO (IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		वर्तमान में 155/2022 के आलोक में लेवल-08 के पद हेतु सुयोग्यता जाँच हेतु प्रसिल प्रक्रियधीन है।	अगले 15 दिनों में पदों का अभ्यर्पण	अपग्रेडेशन कर लिया गया है।

			सुनिश्चित किया जाए।	मद बंद।
--	--	--	---------------------	---------

क्रमांक	35	मंडल चिकित्सालय, सोनपुर निम्नलिखित मूलभूत सुविधा के अभाव के संबंध में।		
मद सं०	86/23	<p>1 एकसरे टेक्नीशियन नहीं होने के कारण उक्त सुविधा का लाभ रेल कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है।</p> <p>2 रोजमर्रा की दवाईयों की भारी कमी है एवं मौसमी दवाईयों की घोर कमी है जिससे कर्मचारियों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। मद बंद।</p> <p>3 पैथलोजिकल जॉच रिपोर्ट प्रोपर फार्मेट में नहीं दिया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों को अस्पताल में दिखाने में काफी परेशानियों का समना करना पड़ता है।</p> <p>4 अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं रहने से कर्मचारियों को प्राइवेट से कराना पड़ता है। outsourced.</p> <p>5 मंडल अस्पताल में ऑख का डॉक्टर नहीं है जो एक गंभीर समस्या है। क्योंकि पूरे मंडल के कर्मचारी पी०एम०आई० हेतु आते हैं और उनका पी०एम०आई० होता है और ये सभी कार्य बिना ऑख के विशेषज्ञ के बिना हो रहा है। Changed PME date Monday & Wednesday</p> <p>5 शुद्ध पेयजल का अभाव है। अतः अस्पताल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाय। जिससे की इलाज कराने आये कर्मचारियों को परेशानी नहीं हो। अतः यूनियन माँग करती है, कि उक्त सुविधा को यथाशीघ्र बहाल किया जाय। जिससे कर्मचारियों को हो रहे परेशानियों को कम किया जा सके।</p>		
संबद्ध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>01. मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में एक्स-रे सुविधा उपलब्ध है।</p> <p>02. मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में सभी आवश्यक दवाई उपलब्ध है, तथा जो दवा दवा मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में उपलब्ध नहीं होता है। उसे स्थानीय क्रय कर मरीजों को उपलब्ध कराया जाता हैं।</p> <p>03. पथोलोजिकल जॉच रिपोर्ट फार्मेट पर उपलब्ध कराया जा रहा है।</p> <p>04.मंडल चिकित्सालय/सोनपुर के मरीजों का अल्ट्रासाउंड केन्द्रीय चिकित्सालय/सोनपुर द्वारा किया जाता है। प्राइवेट से कराये गये अल्ट्रासाउंड जॉच का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा द्वारा भुगतान किया जाता है। प्राइवेट से कराये गये अल्ट्रासाउंड जॉच का चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा द्वारा भुगतान किया जाता है।</p>	यथावत।	<p>01-अल्ट्रासाउंड को आउटसोर्स से किया जाए।</p> <p>02. पीएमई हेतु कर्मचारियों को सोमवार एवं बुधवार को बुलाया जाए।</p>

		<p>05.सप्ताह में प्रत्येक शुक्रवार को एक दिन नेत्र चिकित्सक मंडल चिकित्सालय/सोनपुर चिकित्सालय/सोनपुर में नेत्र के मरीजों तथा आई0एम0ई0/पी0एम0ई0 हेतु आते हैं।</p> <p>06.महिला कल्याण संगठन सोनपुर द्वारा 15.08.2023 को मंडल चिकित्सालय/सोनपुर के ओ0पी0डी में मरीजों के शुद्ध पेयजल हेतु वाटर कूलर लगाया जा रहा है।</p>		
--	--	---	--	--

क्रमांक	36	मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में जीवन रक्षक दवाओं की कमी के संबंध में।		
मद सं०	87/23	ऐसा देखा जा रहा है कि मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में कर्मचारियों को उनके ईलाज के दौरान चिकित्सक जो दवा परामर्श परामर्श में देते चिकित्सालय के स्टोर में उपलब्ध रहने पर वैसे दवाओं का सभी कर्मचारियों के लिए स्थानीय खरीद कर सुविधा उपलब्ध कराया जाय न कि कुछ विशेष कर्मचारियों के लिए ।		
संबंध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		मंडल चिकित्सालय/सोनपुर में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध है चिकित्सक के परामर्श दी गई दवाओं को सभी कर्मचारियों(मरीजों) को उपलब्ध कराया जाता है तथा जो दवा अस्पताल में उपलब्ध नहीं है उसे स्थानीय क्रय द्वारा सभी कर्मचारियों(मरीजों) को उपलब्ध करा दिया जाता है।		मद बंद

क्रमांक	37	सेफ्टी एवार्ड सेवानिवृति के दिन ही प्रदान करने के संबंध में।		
मद सं०	88/23	<p>संरक्षा से जुड़े कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में दुर्घटना रहित कार्यों के लिए सेफ्टी एवार्ड दिया जाता है पूर्व में यह एवार्ड एवार्ड सेवानिवृति के दिन ही दिया जाता था लेकिन विगत कुछ महिनों से सेवानिवृति के बाद इसका भुगतान किया जाता जाता है जो कि एक गलत परम्परा है।</p> <p>अतः संघ माँग करती है कि इसे सेवानिवृति के दिन ही प्रदान किया जाय।</p>		
संबंध	Sr. DOM DPO (IC)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय

		परिचालन विभाग- परिचालन विभाग के सभी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके सेवाकाल में संरक्षा से संबंधित दुर्घटना रहित रहित पुरस्कार को सेवानिवृत्ति तिथि को ही दिए जाने हेतु उचित कार्यवाही की गई है, जिसे जनवरी/2024 माह से सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।		जनवरी/2024 माह से सुचारु रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
--	--	---	--	---

क्रमांक	38	सोनपुर मंडल के सभी कार्यालय को वातानुकूलित युक्त करने के संबंध में।		
मद सं०	89/23	रेलवे बोर्ड के निर्देशनुसार सभी कार्यालय में वातानुकूलित लगाने का प्रावधान किया गया है। अतः वैसे सभी कार्यालय जहाँ जहाँ पर वातानुकूलित युक्त नहीं है चिन्हित कर ए०सी० लगाया जाय। साथ ही मंडल कार्यालय को एसी प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले केन्द्रिकृत एसी लगाकर पुरे कार्यालय को ए०सी० युक्त किया जाय। ताकि कर्मचारी अच्छे महौल में सत प्रतिशत योगदान दे सके।		
संबद्ध	ALL BOS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		परिचालन विभाग- परिचालन विभाग के अंतर्गत वैसे कार्यालय जो वातानुकूलित नहीं है, की सूची तैयार की जा रही है, जिसके पश्चात् संबंधित विवरण विधुत (सामान्य)/सोनपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु सौंपी जाएगी। विधुत/सामान्य- इस मद हेतु मंडल स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।		यथावत।

क्रमांक	39	गौछारी स्टेशन पैनल रूम में सुरक्षात्मक ग्रील लगाने के संबंध में।		
मद सं०	90/23	गौछारी स्टेशन पैनल रूम में सुरक्षात्मक ग्रील नहीं लगा है जिससे कर्मचारी भय के वातावरण में कार्य कर रहे हैं एवं असुरक्षा की भावना हमेशा रहती है। अतः यूनियन माँग करती है कि उक्त स्टेशन पर सुरक्षात्मक ग्रील लगाया जाय।		
संबद्ध	Sr. DEN/C	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय

		यह कार्य दिनांक 31.01.2024 तक पूरा करा लिया जाएगा।		यथावत।
--	--	--	--	--------

क्रमांक	40	समपार फाटक पर स्थित लीवर में लॉक एवं चाभी की व्यवस्था करने के संबंध में।		
मद सं०	91/23	समान्यतः इन्जी० समपार गेट पर गेट बंद करने के बाद लीवर में लॉक की व्यवस्था नहीं है कोई भी व्यक्ति गेट बंद होने की स्थिति में गेट को खोल सकता है। यदि किसी विपरीत परिस्थिति में गेटमैन बंद करके स्टेशन का फोन रिसीब करने चला जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी गेट को खोल सकता है। अतः संघ माँग करती है कि सभी गेटों पर सर्वे कराकर सुरक्षात्मक ग्रील एवं लीवर में लॉक एवं चाभी की व्यवस्था की जाय। तकि कर्मचारी सरक्षीत परिचालन कर सकें ।		
संबद्ध	Sr. DEN/C	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		कार्य को प्रस्तावित किया जाएगा।		यथावत।

क्रमांक	41	सोनपुर मंडल के सभी रेलवे कॉलोनी के जल निकासी की समस्या के संबंध में।		
मद सं०	92/23	रेलवे कॉलोनियों की जल निकासी एक गंभीर समस्या बन गई है जिसमें हमेशा जलजमाव बना रहता है। पानी के सड़ने से गंभीर बीमारी उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण स्वरूप सोनपुर में माईक्रोवेव रेलवे कॉलोनी एवं हाजीपुर को देखा जा सकता । अतः यूनियन माँग करती है कि उपरोक्त समस्या निदान यथाशिध्द कराया जाय।		
संबद्ध	Sr. DEN/C	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		सोनपुर मंडल के अर्न्तगत समड़/भूमि एवं समड़/लाइन के क्षेत्राधिकार में राजस्व निधि के अर्न्तगत कार्य स्वीकृत किया गया है। जिसका प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है। जो कि विधिक्षण की प्रक्रिया में है।		यथावत।

क्रमांक	42	बसेई/विधुत/सोनपुर के कार्यालय का एप्रोच रोड जर्जर होने एवं रेस्ट रूम के संबंध में।		
मद सं०	93/23	पावर हाऊस सोनपुर में कर्मचारियों के लिए कोई रेस्ट रूम नहीं है साथ ही एप्रोच रोड भी पुरी तरह जर्जर है। जिससे कर्मचारियों को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। अतः संघ माँग करती है कि उपरोक्त समस्या का निदान यथाशिध्द किया जाय।		

संबद्ध	Sr. DEN/C	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		राजस्व निधि के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत होने पर यह कार्य करा दिया जाएगा।		लक्ष्य तिथि 28.02.2024

क्रमांक	43	रंनिंग कर्मचारियों के बुकिंग में वरियता को नजर अंदाज करने के संबंध में।		
मद सं०	94/23	SPAD में शामिल रनिंग कर्मचारियों से नियमविरुद्ध उनकी वरियता को नजर अंदाज करके मालगाड़ी कार्य वर्षों से लिया जा रहा है जिससे वे काफी मानसिक तनाव में कार्य कर रहे हैं । अतः संघ माँग करती है कि SPAD सम्मिलित कर्मचारियों कर्मचारियों से उनके वरियता के अनुरूप कार्य लिया जाय।		
संबद्ध	Sr DEE (TRO)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		SPAD में शामिल कर्मचारियों के कार्य का मोनेटरिंग का निर्देश दिया गया है जिससे इनके कार्य की समीक्षा की जा रही है कार्य में संतोषजनक सुधार के पश्चात वरीयता से अन्य गाड़ियों में कार्य कार्य कराया जायेगा।		समीक्षा करें!

क्रमांक	44	बसेई/सिगनल/सोनपुर कार्यालय में जलजमाव के संबंध में।		
मद सं०	95/23	बसेई/सिगनल/सोनपुर कार्यालय में बारिस के महिनो हमेशा जल जमाव रहता है । जिससे केवल एवं उपकरण खराब होने की संभावना रहती है एवं कर्मचारियों को भी कार्यालय के अंदर आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त कार्यालय परिसर के लेवल को ऊचा कर उक्त समस्या का निदान किया जाय।		
संबद्ध	Sr. DEN/C	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		राजस्व निधि के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत होने पर यह कार्य करा दिया जाएगा।		समीक्षा की जाए!

क्रमांक	45	कर्मचारियों के आवासों की मरम्मत कार्य के संबंध में।		
मद सं०	97/23	ऐसा देखा जा रहा है कि कर्मचारियों की रेल आवास के मरम्मत के लिए जिन एजेंसी को निविदा दिया जा रहा है वे सही तरीके से या गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं साथ ही कर्मचारियों के रेल आवास की स्थिति काफी जर्जर है जिससे कर्मचारी एवं उनके परिवार काफी तनाव में रह रहे हैं। अतः संघ माँग करती है कि रेल आवास पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं वर्क ऑर्डर के समय संघ प्रतिनिधियों को भी संज्ञान में लिया जाय। जिससे उक्त समस्याओं निदान हो सके।		
संबद्ध	Sr. DEN/C	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		बैठक में चर्चा की जायेगी।		यथावत।

क्रमांक	46	विधुत लोको शेड, बरौनी के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के संबंध में।		
मद सं०	98/23	नवनिर्मित विधुत लोको शेड बरौनी का कैडर क्लोज हो गया है लेकिन विकल्प के आधार पर आये विभिन्न मंडलो के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। अतः संघ माँग करती है कि उपरोक्त कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाय।		
संबद्ध	DPO/IC	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर के द्वारा सर्वसंबंधित से HHP Loco shed में पदस्थापना हेतु विकल्प आमंत्रित किया गया था। HHP Loco shed में विकल्प पर योगदान करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान किया जाएगा, ऐसा कोई अनुदेश मुख्या० हाजीपुर जारी नहीं किया गया था। चूंकि विकल्प के शर्त में अतिरिक्त वेतन वेतन वृद्धि शामिल नहीं है। अतः अतिरिक्त वेतनवृद्धि की मांग अनुमेय नहीं है		मद बंद।

क्रमांक	47	मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में चिकित्सालय निरीक्षण कमिटी की गठन के संबंध में।		
मद सं०	99/23	मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में चिकित्सालय निरीक्षण कमिटी की गठन नहीं है। जिस कारण चिकित्सालय में काफी समस्याये बनी रहती है। अतः संघ माँग करती है कि निरीक्षण कमिटी का गठन किया जाय।		
संबद्ध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में निरीक्षण हेतु कमिटी का गठन किया किया जा रहा है।		यथावत।

क्रमांक	48	कर्मचारियों से होने वाले दुर्व्यहार/रेल कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए FIR के संबंध में।		
मद सं०	100/23	अगर कोई कर्मचारी कार्य के दौरान कोई असमाजिक तत्व द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मारपीट करने एवं रेल व्यवधान उत्पन्न करने वाले लोगो के खिलाफ प्रशासन के द्वारा कर्मचारी के पक्ष से FIR किया जाय एवं न्यायिक प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रशासनिक आधार पर विरमित किया जाय।		
संबद्ध	ALL BOS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		इंजी विभाग- इंजीनियरिंग विभाग में इस तरह का कोई मामला नहीं है। मेडिकल विभाग. अनुपालन किया जाएगा।		ससुआ इसकी समीक्षा करें।

क्रमांक	49	रनिंग कर्मचारियों के एन0एच0 एवं एन0डी0ए0 के भुगतान के संबंध में।		
मद सं०	101/23	रनिंग कर्मचारियों को एन0एच0 एवं एन0डी0ए0 भत्ता का भुगतान मैनुअल किया जा रहा है जिस कारण अक्सर कुछ कर्मचारियों का तकनीकी कारण से या अन्य कारण से कुछ का भुगतान नहीं हो पाता है जबकि सीएमएस के द्वारा पूरा डेटा पोर्ट होता है । अतः रनिंग कर्मचारियों का एन0एच0 और एन0डी0ए0 का भुगतान सीएमएस से किया जाय।		
संबद्ध	DPO/IC	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय

		रनिंग कर्मचारियों को NHA एवं NDA एवं का भुगतान CMS DATA के आधार पर किया जाता है, साथ ही आवश्यक जाँच हेतु संबंधित विभाग से भी NHA एवं NDA की सूची प्राप्त कराई जाती है CMS DATA एवं विभागीय सूची से मिलान करते हुये लेखा कार्यालय से विधिकृत करार कर भुगतान किया जाता है। कुछ मामले मामले में ऐसा देखा जाता है की CMS DATA में कर्मचारी को नाम रहता है परंतु विभागीय सूची में नाम नहीं रहता है वैसे कर्मचारी का नाम हटाया जाता है। प्रायः देखा जाता है की अवकाश में रहने के बाद भी कर्मचारी का नाम NHA भुगतान हेतु CMS DATA में रहता है।		यह निर्णय लिया गया कि विषयक भत्ते का भुगतान सीएमएस के माध्यम से प्राप्त विवरण के अनुरूप ही किया जाए। किसी प्रकार के मैन्यूअल विवरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
--	--	---	--	--

क्रमांक	50	छपरा रनिंग रूम में कर्मचारियों को काफी परेशानियों के संबंध में।		
मद सं०	102/23	ऐसा देखा जा रहा है कि छपरा रनिंग रूम में गाड़ी कार्य करने के बाद बेड के लिए क्रु को घण्टो इंतजार करना पड़ता है और खाना का भी गुणवक्ता काफी खराब है इसमें सुधार किया जाय।		
संबद्ध	Sr. DEE (TRO)	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		इस संबंध में वर्मवेई/ओपी/वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पात्राचार किया गया है।		इस हेतु पत्राचार करते हुए समाधान किया जाए।

क्रमांक	51	परिचालन विभाग के शंटमैन, शंटिंगमास्टर एवं कॉटावाला को प्रोटेक्टिव गीयर प्रदान करने के संबंध में।		
मद सं०	103/23	परिचालन विभाग के शंटमैन एवं कॉटावाला भी ट्रैकमैन के तरह कार्य करते हैं और उनका कार्य भी बहुत ही जोखिम भरा भरा है। इन्हे अपने कार्य सम्पादन में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। इन्हे भी टैकमैन की तरह प्रोटेक्टिव गीयर प्रदान किया जाय जिससे कार्य का संपदान संरक्षित हो कर सकें। नॉर्दन रेलवे में उपरोक्त संरक्षा समान को प्रदान किया जा रहा है।		
संबद्ध	Sr. DOM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय

		परिचालन विभाग के शंटमैन, शंटिंगमास्टर एवं कॉटावाला को प्रोटेक्टिव गीयर प्रदान किया जाना एक अच्छी पहल है परंतु वर्तमान में पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर के किसी भी मंडल में प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव गीयर प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश मुख्यालय से प्राप्त किया जाना है।		मुख्यालय को संदर्भ किया जाए!
--	--	---	--	------------------------------

क्रमांक	52	विनोद कुमार, यातायात निरीक्षक सोनपुर के निलंबन अवधि का भुगतान के संबंध में।		
मद सं०	104/23	उपरांत कर्मचारी का निलंबन अवधि 17.11.2016 से अप्रैल 2018 के प्रारम्भिक चार माह का वेतन एवं छ माह बाद होने वाली बढ़ोतरी का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जबकि वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, सोनपुर का आदेश प्राप्त अतः संध यह माँग करती है कि उक्त अवधि का भुगतान कर्मचारी हित में अविलम्ब किया जाय।		
संबंध	DPO/IC	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		श्री विनोद कुमार यातायात निरीक्षक/सोनपुर का माह नवम्बर 16 से मई 18 तक के निलम्बन अवधि के बकाया निर्वहण भत्ता को बिल संख्या- E/34/7463/ARR/3002-547 DT 18/12/23 के माध्यम से बनाकर लेखा विभाग में विधिज्ञान हेतु भेजा जा रहा है, विधिज्ञान विधिज्ञान उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।		प्रक्रियाधीन

क्रमांक	53	सोनपुर मंडल के पर्यवेक्षकों को विश्राम नहीं मिलने के संबंध में।		
मद सं०	105/23	मंडल के सभी विभागों के पर्यवेक्षकों का विश्राम का दिन निर्धारित नहीं होने से उन्हें सप्ताहिक विश्राम नहीं मिल पाता है जिससे कर्मचारी काफी मानसिक तनाव में रहते हैं। अतः संध यह माँग करती है कि सभी विभाग के पर्यवेक्षकों के विश्राम विश्राम का दिन निर्धारित किया जाय।		
संबंध	ALL BOS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		परिचालन विभाग- इस संबंध में अवगत कराना है कि रेलवे बोर्ड से जारी दिशा-निर्देश के अनुपालन में परिचालन विभाग के सभी पर्यवेक्षकों को प्रत्येक चौदह दिन में एक दिन का विश्राम दिये		मकधि (प्रभारी) के द्वारा सर्वसंबंधित को आवश्यक निर्देश दिया

		जाने का प्रावधान तय किया गया है, जिसका स्टेडी (पर्य0) उपभोग कर रहे हैं, तथा खंडीय यातायात निरीक्षक के लिए दिशा-निर्देश शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इंजी विभाग- पर्यवेक्षकों को सप्ताहिक विश्राम दिया जा रहा है।		जाए।
--	--	--	--	------

क्रमांक	54	समुदायिक भवन, सोनपुर कमिटी की बैठक लम्बे समय नहीं हो रहा है साथ ही इसके आवंटन में संघ प्रतिनिधियों की सहमति नहीं ली जाती है । अतः संघ यह माँग करती है कि उसकी बैठक नियमित रूप से कि जायं।		
मद सं०	106/23			
संबद्ध	DPO/IC	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली बैठक का निर्णय	निर्णय
		<p>रेलवे सामुदायिक भवन, सोनपुर के संचालन हेतु गठित संविधान एवं उप-नियम के अनुच्छेद 9 के अनुसार इसकी बुकिंग पहले आओ- पहले पाओ के आधार पर जारी की जाती है। बुकिंग नामित कल्याण निरीक्षक की देख-रेख में मकधि(प्रभारी) सह-अधिशाली अधिकारी के अनुमोदन से किया जाता है। अनुच्छेद(14) अनुसार खाता का रख-रखाव कल्याण अनुभाग में कार्यरत लिपिक के द्वारा किया जाता है ।</p> <p>अनुच्छेद 9 के अनुसार अधिशाली अधिकारी द्वारा प्रबंधक समिति की बैठक छः माह में एक बार आयोजित की जाएगी। प्रत्येक बैठक में पिछले कार्यवृत्त की समीक्षा की जायगी और अनुपालन नोट किया जायगा। इसका रख रखाव कल्याण अनुभाग द्वारा किया जायगा। बैठक में सुझाओं एवं शिकायतों की सुनवाई न्यायोचित ढंग से की जायगी। सामुदायिक भवन की कमिटी में नामित युनियन/संगठन के साथ सहायक अधिशाली अधिकारी की बैठक दो महीने में एक बार होगी जिसमें सामुदायिक भवन के देख-रेख सुझावों/शिकायतों पर चर्चा होगी। इसके लिए वर्ष 2024 में अलग से कैलेंडर जारी किया जायेगा</p>		अन्य सभी सामुदायिक भवन के लिए कमिटी का गठन कराया जाए।

क्रमांक	55	मुज0 कर्पूरीग्राम सेक्सन के सभी ट्रैफिक गेटों पर 12 घंटों का ड्यूटी रोस्टर के संबंध में।		
मद सं०	107/23	मुज0 कर्पूरीग्राम सेक्सन के सभी ट्रैफिक गेटों पर कार्यरत गेटमैन से 12 घंटे का ड्यूटी लिया जाता है एवं सप्ताह में एक दिन रेस्ट दिया जाता है जबकि इंजी0 गेटों पर दो दिन रेस्ट दिया है। अतः संघ माँग करती है कि 8 घंटों की ड्यूटी ड्यूटी लिया जाय या 12 घंटा के ड्यूटी लेने पर सप्ताह में दो दिन विश्राम दिया जाय।		
संबद्ध	DPO/IC	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		मुज0-कर्पूरीग्राम खण्ड में गेट सं० 79/ SPL & 66/SPL पर 8 घंटा का ड्यूटी रोस्टर जारी है तथा ना० अन्नत के गेट सं० 98 बी पर 8 घंटा काम कराया जा रहा है जिसका ड्यूटी रोस्टर जारी किया जना है शेष स्टेशन पर 12 घंटा का ड्यूटी रोस्टर है। जिस गेट या स्टेशन पर रेल आवास है या 0.5 KM किलो मीटर के अंतर्गत है वहाँ पर 01 दिन रेस्ट दिया जा रहा है। इंजी० गेट पर भी इसी प्रकार रेस्ट दिया जा रहा है।		टीवीयू होने के उपरांत जिन गेटों का ड्यूटी रोस्टर में बदलाव होना है, किया जाए। शेष गेटों का टीवीयू किया जाए।

क्रमांक	56	मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में कैंटीन एवं सेन्ट्रल आर० (RO) सुविधा प्रदान करने के संबंध में।		
मद सं०	108/23	मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में उपचार के लिए आए कर्मचारियों को कैंटीन एवं आर० नहीं रहने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा परामर्श लेने में ज्यादा समय लगने पर वो नास्ता एवं भोजन के लिए बाहर जाना पड़ता है। अतः संघ माँग करती है कि उक्त सुविधा जल्द से जल्द प्रदान किया जाय जिससे कर्मचारी को हो रही समस्या से निजात मिले।		
संबद्ध	CMS	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		मंडल चिकित्सालय, सोनपुर में आये कर्मचारियों के लिए कैंटीन की सुविधा जल्द से जल्द प्रदान किया जाएगा। आरओ का प्रावधान प्रावधान कर दिया गया है।		प्रक्रियाधीन

क्रमांक	57	पी०आर०एस० मुज० में कर्मचारियों की कमी के संबंध में।
----------------	----	---

मद सं०	109/23	पी०आर०एस० मुज० में कर्मचारियों की काफी कमी है। जहाँ कॉउन्टर पर यात्रियों का काफी दबाव रहता है। पिछले बैठक में मर्रेप्र/वाणिज्य, द्वारा तीन चार कर्मचारियों की पदस्थापना का आश्वसन भी दिये थे परन्तु अभी तक स्थिति यथावत है। अतः संघ माँग करती है कि उक्त कार्यालय में कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जाए।		
संबद्ध	Sr DCM	अद्यतन अभियुक्ति	पिछली का बैठक का निर्णय	निर्णय
		दि० 10.11.2023 को 01 कर्मचारी की पदस्थापना मुज० पी०आर०एस० कार्यालय में की जा चुकी है। साथ ही बचे हुए रिक्त पदों को टेनिंग समाप्त कर आने वाले पैनल से भरा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।		समीक्षा की जाए!

मंडल रेल प्रबंधक महोदय का संबोधन: इसीआरकेयू के मंडल मंत्री, मंडल अध्यक्ष एवं विभिन्न स्टेशनों से आये सम्मानित पदाधिकारीगण, सोनपुर मंडल के अधिकारीगण का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि बैठक काफी सार्थक हुई। हमलोगो ने वर्ष की सभी 6 बैठके करीं। साथ ही, सभी प्रेम की बैठके भी की। यह काफी अच्छी बात है। इस हेतु प्रशासन एवं यूनियन दोनों पक्षों को मैं बधाई देता हूँ। बैठकें होने से कर्मचारी की समस्या से रूबरू होने का मौका मिलता है और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वे जमीनी स्तर पर पहुंच पा रही है या नहीं, इसका फीडबैक मिलता है। यहा काफी खुशी की बात है कि बैठक में केवल शिकायतों पर ही चर्चा नहीं हो रही है बल्कि उनको दूर करने हेतु सुझावों पर भी चर्चा हो रही है और कर्मचारियों की समस्याओं को दूर करने हेतु कार्रवाई भी की जा रही है। मेरा सभी से अनुरोध है कि हम सभी को आपस में मिलकर सोनपुर मंडल को आगे ले जाना है। यह काफी अच्छी बात है कि हमलोग सोनपुर मंडल की बेहतरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमलोग बहुत सारे कामों को बैकएंड से भी कर रहे हैं ताकि लोगों में पॉजिटिविटी आए। वमपचाप्र ने आप लोगों के सुझावों पर चालकों को चाय मुहैया कराया जाना शुरू कर दिया है। अब हमलोगों ने पेट्रोलमैन को भी चाय देने की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। यहां पर काफी सकारात्मक एवं खुला माहौल है। हमलोगों के पास कोई अपना सुझाव दे सकता है। हमलोगों के पास 12 हजार कर्मचारियों का मानवबल है, हमें उनके पोटेंशियल को अनलॉक करना है। कर्मचारियों की समस्या का समाधान जो हमलोगों के स्तर से होनी है उसे हम करेंगे।

(109/23/11/24)
(एस०सी० त्रिवेदी)
मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू

(दीपक राज राय)
मकाधि (प्र०)/सोन